

आवश्यक

पंचायत आम चुनाव, 2021



राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या -पं0नि0 30-41/2016- 1086

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)।

पटना, दिनांक २७ फरवरी, 2021.

विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन, 2021 – बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006

(यथा संशोधित) की धारा 125 के अधीन निर्वाचन कर्तव्य हेतु स्टाफ की अध्यपेक्षा
(requisition) तथा मतदान/मतगणना दलों के गठन एवं मतदान/मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण
के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भ में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की
धारा 125 के प्रावधान उद्घृत हैं:-

“125. निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासनिक तन्त्र –

- (1) राज्य सरकार, जब वैसी अपेक्षा की जाय, राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों का निर्वाचन कराने
के लिए यथा आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचरियों की सेवाएँ उपलब्ध कराएगी।
- (2) पंचायत के निर्वाचन के संचालन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक जिला के लिए जिला
दंडाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) के रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा
तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की सहायता के लिए एक या एक से अधिक जिला
उप-निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, जो उप-समाहर्ता
स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो;

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन से संबंधित में
सभी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी
(पंचायत) पंचायत में निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को नियुक्त कर सकेगा जो
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ उप-समाहर्ता से अन्यून स्तर का हो।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी
(पंचायत) निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को उसके कृत्यों के निर्वहन करने में सहायता करने के
लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को नियुक्त कर सकेगा, जो राज्य
सरकार का पदाधिकारी होगा।

(5) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी
(पंचायत) तथा पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) की सहायता करने के लिए उतने मतदान
पदाधिकारी या पदाधिकारियों को, जितना कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा :

परन्तु कोई व्यक्ति, जो सरकार या सरकारी कम्पनी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) / मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपरिथत होने पर पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) उपर्युक्त परन्तुके अधीन ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है जो निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है; या उसके लिये कोई अन्य कार्य कर रहा है, मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को इसकी सूचना देगा :

परन्तु यह और भी कि मतदान पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अध्यधीन पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(6) यदि पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) रुग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपरिथत रहने के लिए बाध्य हो तो उसके कृत्यों का निष्पादन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जो ऐसी अनुपरिथति के दौरान ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिये निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

(7) किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखे और देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है।

(8) मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करें।

(9) निर्वाचन कार्य हेतु करिपय प्राधिकारियों के कर्मियों को उपलब्ध कराया जाना –

(क) जब जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा किसी निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य के सम्पादन हेतु कर्मचारियों को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा, तब संबंधित प्राधिकारी उन कर्मचारियों को, उस संख्या में जो निर्वाचन कर्तव्य के संपादन हेतु आवश्यक हो, निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा। निर्वाचन कर्तव्य के अन्तर्गत मतदान, मतगणना, विधि व्यवस्था के संधारण, पेट्रोलिंग, दंडाधिकारी आदि से संबंधित कर्तव्य समिलित माने जाएंगे;

(ख) उप-खंड “क” के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होगे –

(1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार,

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा –617 में परिभाषित सरकारी कंपनी

(3) कोई अन्य संस्था, प्रतिष्ठान या उपक्रम जिसे केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है या जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रदान निधियों द्वारा पूर्णतः या आंशिक नियंत्रित किया जाता है या प्रदान किया जाता है।"

उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा राज्य सरकार या सरकारी कम्पनी या कोई अन्य संस्था, प्रतिष्ठान का उपक्रम जिसे केन्द्रीय प्रांतीय या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है या जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः प्रदान निधियों द्वारा पूर्णतः या आंशिक नियंत्रण किया जाता है या वित्त प्रदान किया जाता है, का सेवक हो, को पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर, यथा – पीठासीन पदाधिकारी/मतदान अधिकारी/मतगणना कार्मिक के रूप में नियुक्त किया जाना है।

स्थानीय प्राधिकारों यथा पंचायतों/नगरपालिकाओं के कर्मियों, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों या लोक उपक्रमों के कर्मियों को निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त किये जा सकते हैं। यथाशक्य अध्यापन कार्य में लगे शिक्षकों को निर्वाचन कर्तव्य पर अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अधीन लोक सभा/विधान सभा चुनावों के अवसर पर जिन संस्थाओं के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति की गयी थी, सदृश पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर किये जायेंगे।



2. पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के लिए बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर EPMIS सॉफ्टवेयर की उपयोग करने की सहमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से प्राप्त है। विदित है कि विगत विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रम के पुरुष एवं महिला कर्मियों (स्थायी एवं संविदा) का डाटाबेस Election Personel Management Information System (EPMIS) के तहत <https://elecon.bihar.gov.in> वेबसाईट पर संधारित है। पंचायत निर्वाचन, 2021 के लिए कार्मिक की डाटा नये सिरे से प्राप्त कर इन्ट्री करने की आवश्यकता नहीं होगी। बल्कि विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर संधारित कार्मिकों के डाटाबेस EPMIS के माध्यम से सत्यापन किया जाना है। सत्यापन (EPMIS) के क्रम में पूर्व से संधारित डाटाबेस में यदि कोई संशोधन प्राप्त होता है, तो उसका संशोधन नये कार्मिकों का संबंधित डाटाबेस में नये सिरे से इन्ट्री और मृत/सेवानिवृत्त/अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित इन्ट्री का विलोपन किया जाना है।

3. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अधीन विधान सभा/संसदीय चुनावों के लिए मतदान एवं मतगणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रैण्डम नम्बर तकनीकी (रैन्डमाइजेशन प्रक्रिया) के आधार पर किया जाता है। इस तकनीक से मतदान कर्मियों के चयन में किसी तरह का पक्षपात की संभावना नगन्य हो जाती है।

4. कार्मिकों के रैण्डमाइजेशन हेतु बंधेज -

पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कर्मिकों एवं गश्ती दल दण्डाधिकारी-सह-संग्रह दल के मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्ति हेतु किए जाने वाले रैण्डमाइजेशन हेतु निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाना चाहिए :-

(1) पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी का वर्गीकरण उनके पद, रैंक एवं वेतनमान के आधार पर किया जाना चाहिए। पीठासीन पदाधिकारी के रूप में वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो अन्य मतदान पदाधिकारियों से उच्चतर वेतनमान एवं श्रेणी का व्यक्ति हो। किसी भी स्थिति में वर्ग 4 के कर्मी को पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए।

(2) कार्मिक को अपने गृह एवं कर्तव्य स्थल से संबंधित प्रखण्ड के निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को निर्वाचन कर्तव्य पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

(3) किसी भी मतदान दल में एक ही सिरियल समूह के दो अधिकारियों को नहीं रहने चाहिए।

(4) सिद्धान्तः मतदान दल के दो कर्मी एक ही विभाग से नहीं होने चाहिए एवं किसी भी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान पदाधिकारी समान विभाग से नहीं होना चाहिए।

(5) प्रत्येक मतदान दल के मतदान पदाधिकारियों का चयन रैण्डम आधार पर उपर्युक्त मामलों के अध्यधीन किया जाएगा।

(6) मतदान केन्द्र के लिए मतदान दल का आवंटन भी मतदान केन्द्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

(7) प्रत्येक मतदान कर्मी को उसके वास्तविक मतदान केन्द्र की जानकारी मतदान केन्द्र के लिए रवाना होने के कुछ ही क्षण पूर्व दी जानी चाहिए।

पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर उपर्युक्त मापदंड मतदान कर्मिकों के रैण्डमाइजेशन के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसके क्रियान्वयन में कठिनाई आने पर अपर राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी के पत्रांक 267/2016 दिनांक 31.03.2016 द्वारा उपर्युक्त कंडिका 4 में अंकित प्रावधानों को शिथिल करने का अनुरोध किया था। उक्त पत्र में अंकित है कि 'मतदान दल के दो कर्मी एक ही विभाग से नहीं होने चाहिए' में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है जिससे मतदान दल का गठन हो सके। पत्र में उल्लिखित 'विभाग' को

शिथिल करते हुए 'कार्यालय' तथा शिक्षा विभाग हेतु एक विद्यालय को एक कार्यालय माना जाने का संशोधन किया जा सकता है। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक 2628 दिनांक 6.4.2016 द्वारा सूचना विज्ञान केन्द्र के पत्रांक 267 दिनांक 31.03.2016 को अनुमोदित किया गया है। उक्त के आलोक में वर्तमान परिस्थिति में भी व्यवस्था लागू करने की कार्रवाई की जाए।

विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर मतदान केन्द्रों की वृद्धि के कारण महिला कार्मिकों को भी मतदान केन्द्रों पर प्रतिनियुक्ति किया गया था। पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर सम्पूर्ण जिला में एक दिन मतदान कराने के कारण कार्मिकों की आवश्यकता अधिक होगी, जिसकी कमी को निम्नलिखित रूप से पूर्ण किया जाय :-

1. जिला के महिला कर्मी से। 2. प्रमंडल के सीमावर्ती जिलों के पुरुष कार्मिकों।

महिला कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति उनके पदस्थापन वाले प्रखंड में उनके पंजीकृत वाली मतदान केन्द्र (जहाँ के निर्वाचक हैं) को छोड़कर प्रतिनियुक्त रैण्डमाइजेशन तकनीकी से किया जाना है।

5. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि पंचायत निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए कर्मियों का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया के अनुसार ही रैण्डम तरीके से किया जाएगा। रैण्डमाइजेशन की पूरी प्रक्रिया यथा उपलब्ध स्टाफ का नाम पता तैयार करना, उन्हें मतदान दल के रूप में कलब करना तथा प्रत्येक मतदान दल को मतदान केन्द्र से संबद्ध करना आदि जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं प्रेक्षक के व्यक्तिगत एवं गहन पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

6. पंचायत आम निर्वाचन, 2021 मल्टीपोस्ट इ.वी.एम. (एस.डी.एम.एम. के साथ) चुनाव कराया जाना है। प्रत्येक प्रमंडल का एक जिला में एक बार चुनाव कराये जायेंगे। मतदान समाप्ति के बाद अगले दिन या दूसरे दिन मतगणना प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने पर मल्टी पोस्ट इ.वी.एम. के कन्ट्रोल यूनिट से एस.डी.एम.एम. निकालकर इसे सुरक्षित रूप से बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 84 एवं 86 के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रखी जाये और मल्टी पोस्ट इ.वी.एम. को अन्य निर्धारित जिलों को अगले मतदान में उपयोग किया जाना है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग का निम्न निदेश संसूचित किया जाता है:-

- (1) केन्द्र सरकार, उसके उपक्रम, राज्य सरकार एवं उसके उपक्रम के पुरुष एवं महिला कर्मियों (स्थायी एवं संविदा) का डाटा के तहत Election Personnel Management Information System (EPMIS) के तहत <https://elecon.bihar.gov.in> वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसे समय केवल संशोधित किया जाना है।
- (2) EPMIS ऑनलाईन सॉफ्टवेयर है तथा डाटाइन्ट्री एवं संशोधन का कार्य विकेन्द्रीकृत व्यवस्था द्वारा विभागीय नोडल ऑफिसर द्वारा उनके Login एवं Password से कराया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जिला स्तर से प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग को उपलब्ध Login एवं Password द्वारा कराया जाता है। इसमें प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग द्वारा ऑपरेटर रख कर उनके user id एवं Password से इन्ट्री/संशोधन कराया जाता है। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी रैण्डमाइजेशन एवं प्रतिवेदन तैयार करने में केवल तकनीकि सहायता प्रदान करते हैं। डाटा का उत्तरदायित्व विभाग का है।

9

- (3) निहित स्वार्थवश डाटा एन्ट्री करने वाले कर्मियों द्वारा मतदान में नियुक्ति हेतु तैयार किए गए कार्मिकों के डाटाबेस में कुछ कार्मिकों के नाम उपलब्धता के बावजूद समिलित नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो सकती हैं। अतः प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग एवं जिला सूचना पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे कि उन्हें प्राप्त करायी गयी कर्मियों की सूची में से उनके पर्यवेक्षण में कार्य कर रहे कार्मिकों द्वारा किसी भी नाम को नियुक्ति हेतु कार्मिकों के डाटाबेस से अलग नहीं रखा गया है।
- (4) सर्वप्रथम मतदान और मतगणना कार्मिकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता की समीक्षा कर ली जाय।


यदि कार्मिकों की उपलब्धता में कमी है तो अपने प्रमंडलीय आयुक्त से उस प्रमंडल के अन्य जिला जिसमें चुनाव नहीं हो रहा है या अगले चरण में चुनाव नहीं है, उन जिलों के कार्मिकों को प्रतिनियुक्त कर कार्मिकों की कमी को दूर किया जाना है।

- (5) प्रथम नियुक्ति पत्र पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद प्रशिक्षण विवरणी के साथ तैयार कर कार्मिकों को तामिल कराना है। इस प्रकार बिना मतदान दल के गठन किये प्रथम नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। इसे जारी करने के लिए प्रेक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- (6) प्रथम नियुक्ति पत्र में मात्र निम्नलिखित बिन्दु अंकित किए जाएंगे:-
- (क) नियुक्ति पत्र में कर्मी को आवंटित विशिष्ट क्रमांक (Unique Serial Number)
- (ख) कर्मी जिस रूप में नियुक्त किया जा रहा है, उस पद का नाम (यथा पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी आदि)
- (ग) कर्मी को दिए जाने वाले सभी प्रशिक्षणों की तिथियाँ, समय एवं स्थल का विवरण।
- (7) मतदान एवं मतगणना कर्मियों का नियुक्ति पत्र एक साथ निर्गत किया जाना। जिन कर्मियों को मतदान दल में लगाया जायेगा उन्हें मतगणना हेतु नहीं प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

(8) (क) मतदान कार्मिकों के लिए -

- (i) मतदान कर्मी हेतु जोनल दण्डाधिकारी, सेक्टर दण्डाधिकारी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान अधिकारी 1, 2, 3 एवं मार्ड्रोऑफर्जर, ड्यूटी के रूप में चिन्हित होंगे।
- (ii) प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन पदाधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी होंगे।
- (iii) मतदान दल में केंद्र, केंद्र सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रम के सभी पुरुष एवं महिला (स्थायी एवं संविदा पर कार्यरत) कर्मी को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है।
- (iv) मतदान दल के प्रथम नियुक्ति पत्र में ही तीन प्रशिक्षण का उल्लेख करना उचित होगा। आवश्यकता होने पर पुरुष मतदान कर्मियों को अपने प्रमण्डल के दूसरे जिलों में भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण इसके मद्देनजर किया जाना उचित होगा। मतगणना कर्मियों के लिए भी तीन प्रशिक्षण के कार्यक्रम निर्धारित करने होंगे।


(v) मतदान कर्मियों (Polling Personnel) को लेपल कार्ड (Lapel card) निर्गत किया जाना अनिवार्य है, जिसपर कार्मिक का PIN अंकित होगा। पहचान पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा :-



(vi) मतदान कर्मियों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियुक्ति पत्र संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) स्तर से निर्गत होगा।

(ख) मतगणना कार्मिकों के लिए -

- (i) मतगणना दल हेतु मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में चिह्नित किये जायेंगे।
- (ii) प्रत्येक मतगणना दल में एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक एवं एक मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी।
- (iii) मतगणना कार्य एक दिन में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से एक प्रखंड में कम से कम चार पंचायतों के मतों की गिनती एक साथ की जायेगी। प्रत्येक प्रखंड में अवरिथत पंचायतों के अधिकतम वार्ड सं0 के आधार पर मतगणना टेबुल निर्धारित होंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) मतगणना केन्द्र पर कमरों (हॉल) की उपलब्धता और उतने ही संख्या में सहायक निर्वाची पदाधिकारी होने की स्थिति में चार से अधिक पंचायतों की गणना की व्यवस्था कर सकते हैं। चार पंचायतों का मतगणना व्यवस्था एक साथ प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) इसके कारणों का उल्लेख करते हुए आयोग से अनुमति प्राप्त करेंगे। इसी आधार पर मतगणना कर्मियों की गणना कर कम से कम 20 प्रतिशत सुरक्षित के साथ मतगणना की प्रथम नियुक्ति निर्गत की जाये। मतगणना हेतु अपने ही जिले के पुरुष कर्मी ही नियुक्त किये जायें।
- (iv) मतगणना कर्मियों (Counting Personnel) को लेपल कार्ड (Lapel card) निर्गत किया जाना अनिवार्य है, जिसपर कार्मिक का PIN अंकित होगा। पहचान पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा :-



(v) मतगणना कार्मिक का प्रथम नियुक्ति पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) स्तर से निर्गत होगा जबकि द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र संबंधित प्रखण्ड स्तरीय निर्वाची पदाधिकारी स्तर से निर्गत होगा।

(9) द्वितीय नियुक्ति पत्र : मतदान दल एवं मतगणना दल का द्वितीय नियुक्ति पत्र निर्गत एन.आई.सी. द्वारा विकसीत आँनलाइन रैण्डोमाइजेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किये जाने के उपरांत किया जायेगा।

(क) मतदान कार्मिकों के लिए –

(i) मतदान कर्मियों का द्वितीय रैण्डोमाइजेशन कम से कम 120 प्रतिशत संशोधित डाटा से न्यूनतम 10 प्रतिशत सुरक्षित रखकर नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की समाप्ति के उपरांत तुरंत किया जायेगा। इस रैण्डोमाइजेशन द्वारा मतदान दलों का गठन एवं प्रखंड का आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा-

(ii) एक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी एवं तीन मतदान पदाधिकारी होंगे।

(iii) दो प्रकार के मतदान दलों का गठन किया जायेगा - केवल पुरुष मतदान दल एवं मिश्रित मतदान दल जिसमें दो पुरुष एवं दो महिला कर्मी होंगे।

(iv) केवल पुरुष मतदान दलों के गठन में मतदान अधिकारियों की नियुक्ति अपने पदस्थापन एवं गृह प्रखंड छोड़कर किये जायेंगे तथा कार्यालय के एक से अधिक कर्मी एक मतदान दल में नहीं होंगे। मिश्रित मतदान दल में भी पुरुष कर्मियों का रैण्डोमाइजेशन इसी आधार पर की जायेगी एवं महिला कर्मियों का नियुक्ति रैण्डोजाइजेशन तकनीक द्वारा अपने पदस्थापन प्रखंड के अंतर्गत ही किया जायेगा। परन्तु उनके पंजीकृत मतदान केन्द्र पर नहीं होगा। इसके लिए प्रखंडवार कम से कम 25 प्रतिशत मतदान केन्द्रों को चिन्हित करना होगा जो प्रखंड मुख्यालय एवं इसके इर्द गिर्द अवस्थित हो तथा वहाँ बी.एम.एफ. (Basic Minimum Facility) उपलब्ध हो।

(v) पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो ऑबर्जर का द्वितीय रैण्डोमाइजेशन भी पुरुष मतदान कर्मियों के शर्तों के आधार पर ही किये जायेंगे। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो ऑबर्जर में महिला कर्मी नहीं लगाये जायेंगे।

(vi) द्वितीय नियुक्ति पत्र में योगदान स्थल, तिथि एवं समय अंकित रहेगा। उक्त स्थल एवं तिथि को उन्हें तृतीय नियुक्ति पत्र प्राप्त होगी।

(क) मतगणना कार्मिकों के लिए –

(i) मतगणना कर्मियों का मतगणना तिथि के 72 घंटे पूर्व द्वितीय रैन्डमाइजेशन किया जायेगा। इस रैण्डोमाइजेशन द्वारा मतगणना दलों का गठन एवं प्रखंड का आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा-

(ii) एक मतगणना दल में एक पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक एवं एक मतगणना प्रेक्षक (माइक्रो ऑबर्जर) होंगे। जिनकी नियुक्ति अपने पदस्थापन एवं गृह प्रखंड के मतगणना केन्द्र पर नहीं होगी तथा साथ ही तीनों एक कार्यालय के कर्मी नहीं होंगे।

(iii) द्वितीय नियुक्ति पत्र में योगदान स्थल, तिथि एवं समय अंकित रहेगा। उक्त स्थल एवं तिथि को उन्हें तृतीय नियुक्ति पत्र प्राप्त होगी।



(10) तृतीय नियुक्ति पत्र -तृतीय रैण्डोमाइजेशन के उपरांत ही तृतीय नियुक्ति पत्र निर्गत होंगे।

(क) मतदान कार्मिकों के लिए

- (i) तृतीय रैण्डोमाइजेशन द्वारा मतदान दलों का मतदान केन्द्रों से Tagging किया जायेगा। Patrolling Magistrate का Patrolling-cum-Collecting Party के साथ Tagging किया जायेगा।
- (ii) मतदान दलों एवं Patrolling Magistrate का तृतीय रैण्डोमाइजेशन मतदान तिथि से 72 घंटा पूर्व किया जायेगा।

(ख) मतदान कार्मिकों के लिए

- (i) मतगणना दल का मतगणना तिथि से एक दिन पूर्व तृतीय रैण्डोमाइजेशन किया जायेगा तथा तृतीय नियुक्ति पत्र मतगणना शुरू होने के एक घंटा पूर्व दिया जायेगा। इससे संबंधित एस.एम.एस. कर्मियों को नहीं भेजे जायेंगे।

(11) मतदान केन्द्र को उपलब्ध कराए जाने वाले मतदान सामग्रियों की तैयारी मतदान की तिथि के सात दिन पूर्व कर पंजी में मतदान केन्द्रवार इसकी संख्या अंकित कर ली जाए।

(12) मतदान सामग्रियों का वितरण जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियत स्थल जो यथाशक्य प्रखण्ड मुख्यालय होगा, पर किया जाएगा। संबंधित निर्वाची पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी सारी व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निदेशानुसार करेंगे। जिला स्तर से उन्हें आवश्यक सभी मतदान सामग्री, वाहन, राशि इत्यादि ससमय उपलब्ध करायी जाएगी।

(13) आयोग का निदेश है कि मतदान कार्मिकों को मतदान केन्द्र पर पहुँचाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाए –

(क) सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए – सामान्यतः मतदान की तिथि से दो दिन पूर्व को मतदान कार्मिकों को तृतीय नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जायगा और उन्हें मतदान सामग्री भी उपलब्ध करा दी जायगी।

प्रखण्ड मुख्यालय सहित पूरे प्रखण्ड के कई स्थानों को 'कलस्टर' (Cluster) के रूप में चिह्नित किया जाय। 'कलस्टर' के रूप में चिह्नित किये जाने वाले स्थानों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाय कि इससे संबद्ध मतदान केन्द्र पर 30-45 मिनट में निश्चित रूप से पहुँचा जा सके। इस 'कलस्टर' का उपयोग मतदान के दिन सुरक्षित इ.वी.एम. को रखने के स्थान के रूप में भी किया जाना है, ताकि इससे संबद्ध मतदान केन्द्र पर इ.वी.एम. खराब होने की स्थिति में निर्धारित अवधि में बदला जा सके।

उक्त 'कलस्टर' पर संबद्ध मतदान केन्द्रों के मतदान कर्मियों को ठहरने की व्यवस्था की जाय ताकि इस स्थान पर मतदान दल, गश्ती-सह-संग्रहण दल के पदाधिकारी, सुरक्षित इ.वी.एम. दल तथा सुरक्षाकर्मी रात्रि विश्राम करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इसकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी ताकि रोशनी, पेयजल, शौचालय एवं उचित भुगतान के आधार पर भोजन, चाय एवं नास्ता उपलब्ध हो सके। मतदान कर्मियों को मतदान के दिन Cluster से सुबह 4.00 बजे से पहले वाहनों से मतदान केन्द्रों पर पहुँचा दिया जाये, ताकि मतदान प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय प्रातः 7.00 बजे से मतदान प्रारम्भ किया जा सके।

गश्तीदल-सह-संग्रहण पदाधिकारी भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा चिह्नित स्थल यथा प्रखंड से ई.वी.एम. को लेकर इसी स्थान पर रात्रि में ठहरेंगे जहाँ पर उनके क्षेत्र के मतदान कर्मी ठहरे हैं, ताकि दोनों साथ-साथ 3.30 बजे मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान कर सकें। उक्त ‘कलस्टर’ पर सुरक्षित इ.वी.एम. दल सुरक्षाकर्मी के साथ इ.वी.एम. लेकर रहेंगे। इस ‘कलस्टर’ पर मतदान के दिन भी सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मी रहेंगे तथा इससे संबद्ध मतदान केन्द्रों पर इ.वी.एम. खराब होने की स्थिति में निर्धारित अवधि में इ.वी.एम. बदलने का कार्य करेंगे। इ.वी.एम. का परिचालन सुरक्षा के साथ ही किया जायेगा।

(ख) नक्सल प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र के लिए – नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए भी मतदान की तिथि से दो दिन पूर्व मतदान कार्मिकों को तृतीय नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें मतदान सामग्री भी उपलब्ध करा दी जाएगी।

प्रखण्ड मुख्यालय सहित पूरे प्रखण्ड के कई स्थानों (Cluster) को चिह्नित किया जाय जहाँ सभी मतदान कर्मियों को ठहरने की व्यवस्था की जाय ताकि इस स्थान पर मतदान दल एवं गश्ती-सह-संग्रहण दल के पदाधिकारी, सुरक्षित इ.वी.एम. दल तथा सुरक्षाकर्मी रात्रि विश्राम करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इसकी पुरी व्यवस्था की जाएगी ताकि रोशनी, पैयजल, शौचालय एवं उचित भुगतान के आधार पर भोजन, चाय एवं नास्ता उपलब्ध हो सके। यह स्थान प्रखण्ड के ऐसे भाग में स्थापित किया जायेगा जहाँ मतदान कर्मी एवं सुरक्षाबल सुरक्षित रूप से रात्रि विश्राम कर सके एवं जिस जगह से अधिकतम दूरी वाले मतदान केन्द्र पर भी डेढ़ घंटे में पहुँचा जा सके ताकि मतदान प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय प्रातः सात बजे से मतदान प्रारम्भ किया जा सके। मतदान कर्मियों को मतदान के दिन Cluster से सुबह 4.30 बजे के पहले वाहनों से मतदान केन्द्रों पर पहुँचा दिया जाये। गश्तीदल-सह-संग्रहण पदाधिकारी भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा चिह्नित स्थल यथा प्रखंड से ई.वी.एम. को लेकर इसी स्थान पर रात्रि में ठहरेंगे जहाँ पर उनके क्षेत्र के मतदान कर्मी ठहरे हैं। ताकि दोनों साथ-साथ सुबह के समय निकल सकें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान कार्मिकों के परिचालन के लिए बनाये गये SOP का अनुपालन अवश्य किया जाय।

मतदान के दिन के लिए सुरक्षित इ.वी.एम. दल को सुरक्षा सहित ठहने के लिए ‘कलस्टर’ को चिह्नित किया जाय। ‘कलस्टर’ के रूप में चिह्नित किये जाने वाले स्थानों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाय कि इससे संबद्ध मतदान केन्द्र पर 30-45 मिनट में निश्चित रूप से पहुँचा जा सके। इस ‘कलस्टर’ का उपयोग मतदान के दिन सुरक्षित इ.वी.एम. को रखने के स्थान के रूप में भी किया जाना है, ताकि इससे संबद्ध मतदान केन्द्र पर इ.वी.एम. खराब होने की स्थिति में निर्धारित अवधि में बदला जा सके। इ.वी.एम. का परिचालन सुरक्षा के साथ ही किया जायेगा।

- (14) मतदान कार्मिकों/गश्ती-सह-संग्रह दल/सुरक्षित इ.वी.एम. दलों का ‘कलस्टर’ के लिए प्रस्थान (Dispatch) एवं मतदान केन्द्र पर पहुँचने का प्रतिवेदन सम्मय आयोग को प्रतिवेदित करेंगे।
- (15) सामग्री प्राप्त करने हेतु कर्मियों द्वारा योगदान देने के बाद अगर किसी मतदान दल का कोई सदस्य अनुपस्थित रह जाता है तो वैसी स्थिति में सुरक्षित कर्मियों में से उस स्थान को भरा जाए। इस स्थिति में प्रतिस्थानी कर्मी के स्वयं के एकल फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र (जो सुरक्षित रखे गए कर्मियों के लिए पूर्व से ही मुद्रित एवं तामिला किया गया होगा) पर प्रतिनियुक्ति वाले मतदान केन्द्र की संख्या, नाम एवं पता हस्तालिखित रूप में अंकित कर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहरित कर प्रदान किया जाएगा।

जिस मतदान दल के सदस्य के बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए उपस्थित नहीं रहने के कारण सुरक्षित मतदान दल के सदस्य को भेजना पड़े, उस मतदान दल के अनुपस्थित सदस्य के विरुद्ध तत्क्षण निलंबन हेतु अनुशंसा करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 130 (12) के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को अविलंब ई-मेल द्वारा भेजी जाए। मतदान हेतु सुरक्षित दलों में से किसी दल की मतदान केन्द्र में प्रतिनियुक्ति किए जाने पर उस दल के मतदान कर्मी के नियुक्ति पत्र पर संबंधित प्रखण्ड के मतदान दलों को डिसपैच करने हेतु निर्धारित पदाधिकारी द्वारा उस मतदान केन्द्र पर दिए जाने वाले निर्वाचन सामग्रियों को हस्तिलिखित रूप से अंकित किया जाएगा।

- (16) प्रमंडलीय आयुक्तगण अपने स्तर से इसकी समीक्षा एवं संबंधित जिला से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- (17) मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान दल के पीठासीन पदाधिकारी, गश्ती सह ई.वी.एम. संग्रहण दण्डाधिकारी के साथ संग्रहण स्थल (वज्रगृह) पर आएंगे। मतदान दल के शेष कर्मी मतदान केन्द्र से ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की गई व्यवस्था के अधीन वापस लौट जाएंगे।

7. उपर्युक्त विषय के संबंध में यदि किसी तरह के पृच्छा/‘Clarification’ की आवश्यकता हो तो आयोग के श्री बैजू नाथ कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से उनके दूरभाष संख्या 0612-2507030 (कार्यालय)/8544429906 (मोबाईल) पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

सचिव

ज्ञापांक -पं0नि0 30-41/2016- 10 ४६

पटना, दिनांक - २७.२.२१

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक -पं0नि0 30-41/2016- 10 ४६

पटना, दिनांक - २७.२.२१

प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक -पं0नि0 30-41/2016- 10 ४६

पटना, दिनांक - २७.२.२१

प्रतिलिपि राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी. (बिहार ईकाई) को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक -पं0नि0 30-41/2016- 10 ४६

पटना, दिनांक - २७.२.२१

प्रतिलिपि श्री राजेश कुमार, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

सचिव ६/०२/२०२१